UPMB010008942026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नं0–1)/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, महोबा।

पीठासीन अधिकारीः–ध्रुव राय, उच्चतर न्यायिक सेवा–UP2402

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–393/2026

जयहिन्द उम्र 37 वर्ष पुत्र कैलाश निवासी डी०एम० आवास के पीछे, गाँधीनगर महोबा, थाना कोतवाली महोबा, जिला महोबा। .....आवेदक।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी।

मु0 अ 0 सं0–625/2025
धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 351(2)
बी0 एन 0 एस 0 थाना–कोतवाली महोबा, जिला महोबा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी0 एन 0 एस 0 एस 0।

30.05.2026

1. आवेदक जयहिन्द द्वारा, थाना कोतवाली महोबा, जिला महोबा के अपराध संख्या–625/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 351(2) बी0 एन 0 एस 0 में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन पत्र दिया गया है, जो कि आवेदक जयहिन्द के शपथपत्र से समर्थित है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार फरियादी जीतेन्द्र चौरसिया पुत्र श्याम सुन्दर चौरसिया नि० मुहल्ला गांधीनगर महोबा, थाना कोतवाली महोबा, द्वारा दिनांक–25.12.2025 को समय 23.59 बजे सम्बन्धित थाना कोतवाली महोबा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि फरियादी मुहल्ला गांधीनगर महोबा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा का रहने वाला है एवं फरियादी का मुहल्ला गांधीनगर हिन्द टायर वाली गली नं0 2 में पानी का प्लांट है। हृदेश पुत्र जागेश्वर निवासी ग्राम डढ़त फरियादी के प्लांट में काम करता था। हृदेश ने अपनी जरूरत के लिये पूर्व में 15000 रु उधार लिया था, काम छोड़ने के बाद फरियादी व फरियादी के भाई द्वारा पैसा वापस मांगने पर विवाद करने पर अमादा हो जाता था और वापस नहीं करता था। दिनांक 13.12.25 को पैसे वापस मांगने पर फरियादी व फरियादी के भाई रविन्द्र चौरसिया से काफी विवाद के उपरान्त पैसा वापस कर दिया था, लेकिन तभी से रंजिश मान रहा था, इसी रंजिश के कारण दिनांक 17.12.2025 को समय करीब 8.30 बजे रात्रि को विपक्षई हृदेश पुत्र जागेश्वर उपरोक्त अपने साथियों सार्थक कपूर पुत्र पवन निवासी हमीरपुर चुंगी व दुर्गेश शर्मा निवासी ग्राम डढ़हत. जयहिन्द श्रीवास निवासी डीएम आवास के पीछे, प्रताप श्रीवास निवासी न्यू सिटी महोबा, यासीन पठान उर्फ यासीन घोड़ा पुत्र लाला सफत नि० ग्राम बिच्छू पहाडिया, राज वर्मा नि० यशोशदानगर बजरिया कमल अहिरवार नि० बिच्छू पहाड़िया अमन वर्मा निवासी बजरिया के साथ

फरियादी के बड़े आई रविन्द्र चौरसिया की परमानन्द चौक स्थित इलेक्ट्रानिक्स की दुकान पर आकर उक्त सभी लोग पुरानी रंजिश के कारण फरियादी के भाई रविन्द्र चौरसिया को जान से मारने की नियत से लाठी डण्डों लात घूंसो से मारा पीटा एवं यह कहते हुए की रविन्द्र चौरसिययया को जान से मार डालो कहते हुए यासीन पठान उर्फ यासीन घोड़ा उपरोक्त ने तमंचा निकालकर कनपटी पर लगा दिया। उक्त लोगों के साथ कुछ अन्य अज्ञात व्यक्ति भी थे, जिन्हें फरियादी नहीं पहचानता। उक्त घटना के समय फरियादी अचानक पहुंच गया था और हमलावरों को देखा व पहचाना। शोर मचाने पर सभी लोग मौके से भाग गये। फरियादी के भाई को गंभीर चोटे आयी हैं, जिनका इलाज मेडिकल कालेज बांदा में चल रहा है।

3. आवेदक जयहिन्द की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उसमें उल्लेख किया गया है कि आवेदक निर्दोष है। आवेदक के विरूद्ध गलत व बनावटी आरोप लगाकर फंसाया गया है। शिकायतकर्ता ने अपने द्वारा शहर महोबा में शुद्ध पानी वितरण की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण प्रश्नगत अभियोग पंजीकृत कराया है, जबकि उसके पास खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत कोई लाईसेन्स नहीं है। सहअभियुक्त हृदेश पुत्र जागेश्वर कथित घटना के पूर्व शिकायतकर्ता के उक्त वाटर मिनरल प्लान्ट पर दैनिक वेतन पर मजदूरी करता था, परन्तु उसके द्वारा उक्त मजदूरी छोड़कर स्वयं का एक नया प्लान्ट लगाकर पानी वितरण का कार्य शुरू कर दिया। आवेदक, सहअभियुक्त हृदेश पुत्र जागेश्वर का परिचित होने के कारण इस नये प्लान्ट पर दैनिक वेतन पर काम करने लगा, जिस कारण आवेदक को भी कथित घटना में नामित कर फंसा दिया गया। सहअभियुक्त सार्थक कपूर की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से गुणदोष के आधार पर दिनांक–13.02.2026 को स्वीकृत हो चुकी है। सहअभियुक्त दुर्गेश शर्मा एवं राजप्रताप की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं। आवेदक के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने से व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होगी। आवेदक विवेचना की कार्यवाही में प्रत्येक समय विवेचक के बुलाने पर आवेया और यथासम्भव साक्ष्य उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग करेगा। आवेदक के विरूद्ध प्रश्नगत प्रकरण में भी कोई गिरफ्तारी अधिपत्र किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं हुआ है और न ही किसी प्रकरण में फरार घोषित किया गया है। आवेदक कभी भी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक प्रकरण में दण्डित नहीं किया गया है। उक्त आधार पर आवेदक जयहिन्द द्वारा उसे अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4. आवेदक जयहिन्द की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि आवेदक को पुलिस से मिलकर झूंठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके न्यायालय से भागने की भी सम्भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि आवेदक द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई के साथ जान से मारने की नियत से लाठी–डण्डों से मारपीट करायी है। चुटहिल के शरीर पर गम्भीर प्रकृति की चोटें मौजूद हैं। अतः प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

6. न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर विधि के प्राविधान, उभय पक्ष की ओर से व्यक्त तर्कों के आधार पर विचार किया गया।

7. आवेदक पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई को जान से मारने की नियत से लाठी–डण्डों से प्रहार कर चोटें कारित कराये जाने का आरोप है। सहअभियुक्त सार्थक कपूर की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–13.02.2026 को स्वीकृत की जा चुकी है तथा सहअभियुक्तगण दुर्गेश शर्मा एवं राजप्रताप की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकीं हैं। उक्त स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अग्रिम जमानत सम्बन्धी प्राविधानों एवं जमानत के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी0 बी0 आई 0 व अन्य (2021) 10 एस 0 सी0 सी0 773** में प्रतिपादित न्याय दृष्टांत को दृष्टिगोचर रखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष के आधार पर होने वाले निराकरण के सम्बन्ध में कोई राय व्यक्त न करते हुए न्यायालय के मत में आवेदक जयहिन्द की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार होने योग्य है–

(I) आवेदक सम्बन्धित न्यायालय/विवेचक के समक्ष, जब अपेक्षित हो, उपस्थित रहेगा तथा सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष जमानत के रूप में पचास हजार रूपये का निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करेगा।

(II) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय/विवेचक के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रगट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण धमकी या वचन नहीं देगा।

(III) आवेदक सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(IV) आवेदक सक्षम न्यायालय/विवेचक द्वारा आवश्यकतानुसार आहूत किये जाने पर यथास्थिति न्यायालय/विवेचक के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(V) आवेदक द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लघंन होने पर अभियोजन को अभियुक्त की जमानत निरस्त कराने का अधिकार होगा।

तदानुसार आवेदक जयहिन्द की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–625/2025, अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 351(2) बी०एन०एस०, थाना कोतवाली महोबा, जिला महोबा के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

दिनांकः 30.05.2026

(ध्रुव राय)
अपर सत्र–न्यायाधीश, (कोर्ट नं0–1)/
विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधि०
महोबा, UP2402

Digitally signed by DHRUVA RAI
Date: 2026.05.30 14:01:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court